

**\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-\***

**\*(पत्रांक-301/2024 दिनांक 26.10.2024)\***

**\*दिनांक-26.10.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया  
सराहनीय कार्य-\***

**\*अन्तर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, 20 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मय एक अदद बोलेरो वाहन (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 09 लाख रूपये) के साथ 01 शराब तस्कर गिरफ्तार-\***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.10.2024 को थाना जटहां बाजार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान थाना जटहांबाजार क्षेत्र से 01 अभियुक्त रजनीकान्त वर्मा पुत्र सुरेन्द्र वर्मा ग्राम महुअवा खुर्द थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद बोलेरो वाहन संख्या UP53BU5623 से तस्करी कर बिहार हेतु ले जायी जा रही 20 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (19 पेटी 8पी0एम0 प्रत्येक पेटी में 48 पाउच व 01 पेटी रायल स्टेग 12 बोतल प्रत्येक 750 ML) की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 211/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पूछ-ताछ का विवरण-\***

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह जनपद कुशीनगर व आस-पास के जिलों से शराब की तस्करी कर चार-पहिया वाहनों से बिहार राज्य में ले जाकर ऊंचे दामों में बेचकर अधिक धन अर्जित करता है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में जनपद गोरखपुर में 02 अभियोग भी पंजीकृत हैं।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 211/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

रजनीकान्त वर्मा पुत्र सुरेन्द्र वर्मा ग्राम महुअवा खुर्द थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

**\*विवरण बरामदगी:- (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 09 लाख रूपये)\***

1-कुल 20 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (19 पेटी 8पी0एम0 प्रत्येक पेटी में 48 पाउच, प्रत्येक 180 ML व 01 पेटी रायल स्टेग, 12 बोतल प्रत्येक 750 ML)

2-वाहन एक अदद बोलेरो गाड़ी सं0-UP53BU5623

**\*अभियुक्त राजनिकान्त वर्मा उर्फ राजन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-\***

- 1-मु० अ० सं० - 55/13 धारा - 363,366,376 IPC थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर।
- 2-मु०अ०सं० - 224/24 धारा -323,504,506 IPC थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर।
- 3-मु०अ०सं० 211/2024 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

**\*बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-\***

- 1-प्र०नि० श्री ओमप्रकाश तिवारी थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 2-उ०नि० श्री देवव्रत यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 3-उ०नि० श्री अनिल कुमार शर्मा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 4-का० विनय कुमार यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 5-का० विश्वजीत राय थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

**\*थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा दहेज हत्या आदि के मुकदमें में वांछित तीन नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.10.2024 को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा मु०अ०स० 105/2024 धारा 80(2),85,103(1) बीएनएस व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.कमलेश चौधरी पुत्र देवता चौधरी 2. देवता चौधरी पुत्र स्व० जगराशन चौधरी साकिनान चौबेया पटखौली लाला टोला थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर 3. एक अन्य महिला को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु०अ०स० 105/2024 धारा 80(2),85,103(1) बीएनएस व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

- 1.कमलेश चौधरी पुत्र देवता चौधरी निवासी चौबेया पटखौली लाला टोला थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. देवता चौधरी पुत्र स्व० जगराशन चौधरी निवासी चौबेया पटखौली लाला टोला थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
3. एक अन्य महिला

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

1. प्र०नि० श्री राजेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. व०उ०नि० संजय कुमार सिंह थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
3. का० रामकिशुन यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
4. का० रमेश यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
5. म०का० रश्मि यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

**\*थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद कुशीनगर में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.10.2024 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा मु0नं0 3144/2020 धारा 323/504/506/452 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त रामसिंह पुत्र मन्नी साकिन पिपरा बडा टोला थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0नं0 3144/2020 धारा 323/504/506/452 भादवि0

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

रामसिंह पुत्र मन्नी साकिन पिपरा बडा टोला थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

1. उ0नि0 गिरजेश यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. का0 रविकुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. का0 राहुल कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

**\*शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में=\***

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-69, व्यक्ति-225
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
- 4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-)

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*जनपद कुशीनगर\***